निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 544) पटना, शुक्रवार 8 जून 2018

सं0 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)–02/2018–2314

उद्योग विभाग

———

संकल्प

4 जून 2018

विषय :– बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति के लाभुको को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रु0– 9,32,84,000.0़0 (नौ करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार रु0) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति विभागीय स्वीक्त्यादेश सं0 1178 दिनांक 19.03.2018 में विभागीय संकल्प सं0 782 दिनांक 17.05.2018 के अनुरूप संशोधित करने के संबंध में।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1178 दिनांक 19.03.2018 द्वारा बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति के लाभुकों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रु0 9,32,84,000.00 (नौ करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत्यादेश निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :–

1. योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना किया जाता है।

2. इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं ग्रामीण उद्योग स्थापित करने हेतु परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान तथा 50 प्रतिशत राशि सूद मुक्त ऋण के रूप दिया जायेगा जिसकी वसूली 84 समान किस्तों में (सात वर्ष) बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा की जायेगी। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य वित्तीय निगम, पटना द्वारा की जायेगी।

3. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका–1 में निहित प्रावधान के तहत की जायेगी। परियोजना की प्रति इकाई की कुल लागत रु0 10.00 (दस) लाख अधिकतम होगा एवं लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण आदि के लिए रु0 25,000/– की दर से प्रति इकाई व्यय किया जायेगा।

4. इस योजना अर्न्तगत लाभार्थियों की योग्यता संकल्प संख्या–782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका–2 में निहित प्रावधान के तहत होगी।

5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन संकल्प संख्या–782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका–3 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सदस्य के रूप में रखा जाता है।

6. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।

7. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को राशि की विमुक्ति विभागीय संकल्प संख्या–782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका–6 में निहित प्रावधान के तहत की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डा0 एस0 सिद्धार्थ,

प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 544-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in